न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 08 / 2017

गोवर्धन सिंह पिता नन्द सिंह राजपूत पीपल्दा बनाम (1) माधूता पिता नन्दा बैरवा नवलपुरा
(2) भोलू पिता उगमा बैरवा नवलपुरा
(3) शंकरलाल पिता उगमा बैरवा नवलपुरा
(4) जगन्नाथ पिता उगमा बैरवा नवलपुरा
— विपक्षी

प्रार्थनापत्र–अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0ए0

आदेश :–

दिनांक— 12/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री — गोवर्धन सिंह राजपूत — ने जरिये अभिभाषक श्री — निरंजन कुमार राव ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल / संयुक्त खाते की भूमि ग्राम पीपल्दा प0ह0 नवलपुरा तह0 माण्डलगढ मे आराजीयात 93/1, 94/1, 97/1, 99/2, 100/1, 101/1, 102/1, 103/1 किता 8 रकबा 11 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन भूमि विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान करावे तथा साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलगन जमाबंदी सम्वत् 2069 / 2072 के अवलोकन से प्रार्थी उपरोक्त आराजीयात का खातेदार / गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम पीपल्दा की आराजी न0 93/1, 94/1, 97/1, 99/2, 100/1, 101/1, 102/1, 103/1, रकबा बीघा 11 बिस्वा 02 की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने के आदश दिये जाते है। भू–अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 550 /रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, एवं पत्थरगढी की शुल्क राशि 100 / रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।